भारत में धारावाहिक मृत्यु को रोकने की व्यवस्था : किसानों द्वारा आत्महत्या करने का अध्ययन

डॉ० देवेन्द्र ृार्मा

वर्-ा 2017 का प्रारंभ आशा के विपरित निराशाजनक ढंग से हुआ है। नववर्-ा का पार्टी की समाप्ति के 1 दिन के बाद रा-ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने किसानों की आत्महत्याओं पर एक नवीनतम रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार वर्-ा 2015 में 12,602 किसानों ने आत्महत्या की जो कि तेजी से बढता हुआ ग्रॉफ है। औसतन भारत में प्रत्येक 41 मिनट में कोई न कोई किसान आत्महत्या कर रहा है।

अभी तक सरकारी आंकडों के अनुसार वर्-ा 1995 और 2015 के बीच लगभग 21 व-ार्ें की अवधि में 3,18,528 किसानों ने आत्महत्या की है। किसानों की आत्महत्याओं का मुख्य कारण इन व-ार्ें में घो-ित गलत आर्थिक नीतियां हैं, जिनके अंतर्गत किसानों को जानबूझकर दरिद्र बनाया जाता है।

कृ-ि क्षेत्र को आर्थिक रूप से अव्यवहारिक बनाया जा चुका है, जिसके कारण किसान ऋण के खतरनाक चक्कर में फंसते जा रहे हैं। वर्-ा दर वर्-ा किसानों का संकट बद से बद्तर होता जा रहा है। ऐन.सी.आर.बी. के आंकडों में भी किसानों का ऋणी होना उनकी आत्महत्याओं का प्रमुख कारण बताया गया है।

अन्य दो मुख्य कारण हैं; गरीबी और बीमारी। इन्हें भी उस श्रेणी में ृाामिल किया जा सकता है, क्योंकि दोनों का सीधा संबंध आमदनी में कमी होना है। छत्तीसगढ़ राज्य के एक ग्रामीण एवम् औद्योगिक विकास अनुसंधान केन्द्र के अध्ययन में भी बताया गया है कि किसान ऋण के बोझ में कैसे दबे हैं। इसके अनुसार पंजाब ग्रामीण घरों में से 96 प्रतिशत आमदनी से अधिक खर्चे की समस्या से परेशान हैं। इसमें से 98 प्रतिशत ग्रामीण परिवार ऋणी हैं। यदि यह दृश्य पंजाब जैसे प्रमुख कृ-ि राज्य का है, तो देश के अन्य राज्यों के किसानों के भाग्य के बारे में सोचकर में कांप जाता हूँ।

महारा-ट्र में 4,291 किसानों द्वारा आत्महत्या की सूची सबसे ऊपर है। यह वर्-ा 2014 में 4,004 की संख्या से कुछ अधिक है। वर्-ा 2014 और 2015 में लगातार महारा-ट्र में संदिग्ध उजली तस्वीर प्रस्तुत की जा रही है। जबकि वहां देश के कुल किसानों द्वारा आत्महत्याओं की संख्या का एक-तिहाई भाग महारा-ट्र और इसके सीमावर्ती क्षेत्रों का है। इसके अतिरिक्त कर्नाटक, तेलांगना, मध्य-प्रदेश, छत्तीसगढ, आंध्र-प्रदेश और तमीलनाडु वे अन्य राज्य हैं जिनमें अधिक किसानों द्वारा आत्महत्याऐं की गई हैं। देश में कुल 11,026 किसानों की आत्महत्याओं में लगभग 87 प्रतिशत भाग इन 7 राज्यों का है। यदि हम देश का नक्शा देखें तो इन सभी राज्यों का भौगोलिक क्षेत्र काफी अच्छा है और मध्य-भारत से लेकर समुद्री क्षेत्र तक फैला है, फिर भी इनमें अधिकतम किसान आत्महत्या की घटनाऐं सामने आ रही हैं।

बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हिमाचल-प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एवम् कश्मीर, नागालैंड, मिजोरम और गोवा राज्यों से किसान आत्महत्या का कोई मामला सामने नहीं आया है। किंतु बिहार में 7 कृ-ि मजदूरों द्वारा, तमिलनाडु में 604, झारखंड में 21 और मध्य-प्रदेश में 709 कृ-ि मजदूरों द्वारा आत्महत्या के मामले सामने आऐ। यदि किसानों और कृ-ि से संबंधित मजदूरों को एक श्रेणी में ृाामिल करें तो वर्-ा 2015 में 12,602 व्यक्तियों ने आत्महत्या की, जो कि वर्-ा 2014 की 12,360 की संख्या से 2 प्रतिशत अधिक है। किसानों और

कृ-ि मजदूरों को अलग रखने का उपाय सरकार ने किया है, ताकि वह कृ-ि से संबंधित व्यक्तियों द्वारा आत्महत्या के मामलों को कम करके दिखा सके।

यदि 5,650 किसान और 6,710 कृ-ि मजदूरों को जोडा जाऐ तो व-र् 2014 में यह संख्या 12,360 बनती है और यह व-र् 2013 की तुलना में 5 प्रतिशत अधिक है। हाल ही में ऐन.सी.आर.बी. ने रिपोर्ट दी है कि व-र् 2015 में पंजाब में 100 किसानों ने आत्महत्या की, इसके अतिरिक्त 24 कृ-ि मजदूरों ने भी आत्महत्या की, अतः पंजाब में कुल संख्या 124 थी। यह संख्या पंजाब सरकार द्वारा जारी 449 कृ-ि संबंधित व्यक्तियों की संख्या से बहुत कम है। आत्महत्याओं को कम दर्शोने की ुरूआत छत्तीसगढ़ राज्य ने 2011 में की, जबकि उस व-र् 0 और व-र् 2012 में 4 और व-र् 2013 में 0 कृ-ि आत्महत्या का आंकडा दिया। नवीनतम आंकडों के अनुसार छत्तीसगढ़ में 954 किसान या कृ-ि मजदूर आत्महत्या कर चुके हैं।

रूपरेखा (डिजाइन)

कृ-ि संकट की गंभीरता को समझने के लिऐ किसानों द्वारा आत्महत्या की संख्या में वृद्धि से देखा जा सकता है। मुझे जब से याद आ रहा है, जब कभी महारा-ट्र के विदर्भ या मराठवाड़ा क्षेत्र में किसान आत्महत्या करता है तो वह रा-ट्रीय सुर्खियां बन जाता है। इन संख्याओं के पीछे इस कारण को नजर अंदाज कर दिया जाता है कि किसानों के प्रति दवे-तापूर्ण नीतियां अपनाई जाती हैं। इसका वास्तविक कारण छिपा रह जाता है।

यह सभी नीतियों की रूपरेखा का एक भाग है। मैं स्प-ट करता हूँ।

नोटबंदी प्रारम्भ होने के तुरंत बाद भारतीय स्टेट बैंक ने 63 जानबूझकर दो-ी कर्जदारों का रू. 7,016 करोड़ का ऋण बट्टे खाते में डाल दिया। इसमें किंगफिशर ऐयरलाईंस के विजय माल्या के रू. 1,201 करोड़ भी ामिल हैं, जो देश से भागा हुआ है। इस प्रकार के दो-ियों को 'भगोडा ऋणी – घराना और व्यक्ति कहा जाता है, जो ऋण लौटा सकते हैं लेकिन नहीं लौटाते वे जान बूझकर ऐसा करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि उधार देने वाले बैंक इस ऋण की वसूली के लिऐ लंबी कानूनी लडाई नहीं लड पाऐंगे'।

सामान्य ाब्दों में ऐसे लोग आदतन दो-ी होते हैं। वे जान बूझकर बैंकों से पैसा उधार ले लेते हैं और चुकाते नहीं हैं। मुझे विश्वास है कि ायद बैंकों ने अब कोई ऐसा रास्ता निकाल लिया होगा कि ऐसे लोगों को जेल पहुंचाया जाऐ। इस प्रकार ऋण माफ करने का कारोबार करने का विशे-ाधिकार केवल अमीर कर्जदारों को ही दिया जाता है।

उनके लिऐ सरकार इतना ही नहीं करती बल्कि उनकी पहचान भी गुप्त रखती है। सरकार ने कुल रू. 85 हजार करोड़ बैंकों की बकाया राशि देने वाले 57 वयक्तियों के नाम बताने से मना कर दिया। यह कौन लोग हैं जो सरकारी पैसे को नहीं लौटाते। इसका नाम जनता को क्यों नहीं बताया जा रहा, यह भारत के मुख्य न्यायधीश टी.ऐस. ठाकुर की बैंच ने पूछा था।

अमीर लोगों को विशे-ाधिकार दिऐ जाते हैं, जबकि कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जब देश के किसी भाग से किसी किसान द्वारा आत्महत्या करने की खबर ना आती हो। इन आत्महत्याओं में अधिकतम वे किसान होते हैं जो बैंकों का ऋण नहीं चुका पाते, चाहे यह कम से कम रकम रू. 1.5 लाख की हो। एक अन्य खबर

पंजाब की है जहां एक किसान ने अपने 5 व-र् के बेटे को अपनी छाती से बांधकर नहर में छलांग लगा दी, जिसने बैंकों का रू. 10 लाख देना था और वह जानता था कि उसका लड़का जिंदगी भर भी रू. 10 लाख अदा नहीं कर पाऐगा।

इसके विपरित कोई अमीर दो-ी व्यक्ति आत्महत्या करते हुऐ नहीं मिला। वे देश से या तो भाग जाते हैं, अथवा जान बूझकर दो-ी की श्रेणी अथवा केवल दो-ी तक की श्रेणी में रहकर अपना बचाव कर लेते हैं। इन्हें पहले अलग ृी-र् अकाऊँटस अन्ड्र कलैक्शन में रखा जाता है और बाद में बैंक के खातों में गैर नि-पादन परिसंपित्त में रखा जाता है और बाद में यह ऋण माफ कर दिऐ जाते हैं। व-र् 2012 से 2015 में रू. 1. 14 करोड़ की गैर नि-पादित परिसंपित्तयों को बट्टे खाते में डाल दिया गया। सार्वजनिक लेखासमिति ने संसद को जुलाई 2015 में सूचना दी की रू. 6 लाख करोड़ के ऐन.पी.ऐ. बन चुके हैं।

मुझे आश्चर्य है कि किसानों कि बकाया राशि और आम आदमी की बकाया राशि को ृी-र् अकाऊँटस अन्ड्र कलैक्शन में क्यों नहीं रखा जाता। बैंकों को इनसे ऋण की वसूली के प्रयास करने देना चाहिऐ। ऐन.सी.आर. बी. कि रिपोर्ट में स्प-ट कहा गया है कि 80 प्रतिशत लोग इस कारण आत्महत्या करते हैं, क्योंकि बैंक उन्हें अत्यधिक प्रताडित करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने जैसे 63 अमीर दोि-यों का ऋण माफ किया है वैसे ही किसानों का भी ऋण बट्टे खाते में डालना चाहिऐ। इससे वह भी आत्महत्या करने से बच जाऐंगे और पिछले 21 व-ोंं में 3.18 लाख किसानों द्वारा की गई आत्महत्या में से कम से कम 50 प्रतिशत तो जीवित रह सकते थे।

किसानों को दरिद्र रखना

कृ-ि का व्यवस्थित ढंग से विनाश करना भी एक कारण है जिससे सरकारी नौकरियों में जाति आधारित आरक्षण की मांग बढ़ रही है, चाहे गुजरात में पत्तीदार, राजस्थान में गुर्जर, हरियाणा और उत्तर-प्रदेश में जाट और कर्नाटक/महारा-ट्र में लिंगायात हों। हालांकि ये आंदोलन जाति आधारित हैं किंतु गली-गली में इस प्रकार का विशाल जन समूह आंदोलन तब तक नहीं हो सकता, जब तक की उस समुदाय में अति असंतो-ा न हो जाऐ।

महारा-ट्र में 90 प्रतिशत आत्महत्या करने वाले मराठा थे जबकि इसकी कारण जानने के लिऐ कृ-ि की आर्थिक नीतियों का कैसे नाश हो रहा है, यह जानना जरूरी है। मैंने कृ-ि लागत एवम् मूल्य आयोग की हाल ही की रिपोर्ट पढी है, जिसमें बताया गया है कि महारा-ट्र के कुल सिंचित क्षेत्र के 4.5 प्रतिशत भाग पर गन्ना उगाया जाता है और इसके लिऐ 71 प्रतिशत भू-जल का प्रयोग करना पडता है। बाकि 96 प्रतिशत भूमि पर भी किसान ऐसा ही करते हैं जैसे धान में किसान को केवल रू. 966 प्रति हेक्टेयर का लाभ मिलता है, जो कि औसतन रू. 300 मासिक बैठता है। महारा-ट्र का किसान रागि उगाने पर प्रति हेक्टेयर रू. 10,674 का नुकसान, मूंग पर रू. 5,873, उडद पर रू. 6,663 का नुकसान उठाता है। विदर्भ में कपास उत्पादक को भी प्रति हेक्टेयर रू. 2,949 का लाभ मिलता है, कपास की कुल फस्ल पर लगभग 7 - 8 महीने लगते हैं, तो इसका औसतन मासिक लाभ रू. 700 प्रति हेक्टेयर बैठता है। इससे अधिक मनरेगा का मजदूर कमाता है, मुझे आश्चर्य है कि इन व-ोंं में महारा-ट्र के किसान कैसे जीवनयापन कर रहे हैं।

इसलिऐ मराठा का क्रोध और असंतो-ा उचित है। जैसा महारा-ट्र पर लागू होता है वैसे ही गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर-प्रदेश और हरियाणा पर भी लागू होता है जहां आरक्षण के लिऐ उग्र प्रर्दशन किऐ जा रहे हैं। मराठा, जाट, पत्तीदार समुदाय जिनका राजनैति क्षेत्रों में अत्यधिक प्रभुत्व है, वहां केवल 1 प्रतिशत लोग ही हैं, लेकिन 99 प्रतिशत लोग कठिन जीवनयापन कर रहे हैं। व-ार् 2016 के आर्थिक सर्वेक्षण में यह स्प-ट है जिसमें भारत के 17 राज्यों के किसान परिवार की आय केवल रू. 20,000 वार्-िक है, अर्थात् मासिक आय रू. 1,667।

देश के 130 करोड लोगों का 57 प्रतिशत भाग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृ-ि से जुडा हुआ है, उसे नियमित रूप से नकारा जा रहा है, जिस कारण असंतो-ा बढता जा रहा है। कृ-ि क्षेत्र लाभकारी न होने के साथ-साथ कृ-ि से संबंधित उद्योगों में भी मंदी का माहौल है।

इसके अतिरिक्त सार्वजनिक चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाऐं निजी क्षेत्र को दी जा रही हैं, जिस कारण यह महंगी होती हैं और इसका सीधा नुकसान भारत के गांव वासियों को उठाना पड़ता है। कई बार देखने में आया है कि ग्रामीण परिवार के बीमार व्यक्ति के उपचार पर इतना खर्च हो जाता है कि किसान परिवार ऋण के बोझ से दब जाता है। इस प्रकार स्वास्थ्य और शिक्षा का वित्तीय बोझ किसानों पर ही पड़ रहा है। सरकारी नौकरी में आर्थिक सुरक्षा मिलती है, चाहे वह विद्यालय का अध्यापक हो, गांव का पटवारी अथवा राजस्व कर्मचारी, इस कारण सभी जाती के लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं। एक सरकारी चपरासी को रू. 18,000 मासिक और अन्य भत्ते दिऐ जाते हैं तो किसान को इस प्रकार की निश्चित आय से क्यों वंचित किया जा रहा है। महारा-ट्र में मराठा और हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन देश में फैली इसी असमानता का परिणाम है।

निश्चित आमदनी

बड़े-बड़े कृ-ि अर्थशास्त्री और नीति निर्माता कम फसल उत्पादन, फसल विविधिकरण में कमी और कम सिंचाई भूमि को दो-ाी ठहराते हैं। महारा-ट्र में किसान कम उत्पादकता और कम सिंचाई के कारण आत्महत्या कर रहे हैं तो, कैसे मान लिया जाऐ कि पंजाब में भी किसान इसी कारण आत्महत्या कर रहे हैं, जबकि पंजाब देश में विशाल अनाज उत्पादक राज्य के रूप में जाना जाता है।

पिछले कुछ महीनों में किसानों की आय दोगुनी करने पर कई संगो-ठीयां/सम्मेलन हुऐ लेकिन उन्हें उनकी आमदनी बढाने का कोई सुझाव या उपाय नहीं मिल रहा है। लगातार 2 व-ार् सूखा पडने और नोटबंदी के कारण किसानों की आय में 50 से 70 प्रतिशत की कमी आई है, विशे-ाकर सब्जि उत्पादकों की आय में।

वास्तव में जिन वाद-विवाद और विचार विमर्श तथा सम्मेलनों में मैंने भाग लिया, उनमें से किसी में भी कुछ नया नहीं पाया है। केवल इसी पर बहस होती है कि फसल उत्पादकता बढाओ, सिंचाई क्षेत्र बढाओ, फसल बीमा लागू करो तथा रा-ट्रीय कृ-ि मंडियों को इलैक्ट्रोनिक बनाया जाऐ।

भारत में निजी क्षेत्रों के कर्मचारियों सहित केवल 1.3 प्रतिशत लोग वेतन भोगी हैं। इसके विपरित 57 प्रतिशत जनसंख्या अर्थात् लगभग 60 करोड़ लोग किसान हैं। इन कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन भारतीय श्रम सम्मेलन 1957 की सिफारिशों के अनुसार किया जाता है। तद्नुसार न्यूनतम वेतन का निर्धारण मनु-य की वास्तविक

न्यूनतम आवश्यकताओं के आधार पर होता है, जिसके लिऐ कुछ मानदंड निर्धारित किऐ गऐ हैंः 1) एक आम कार्य करने वाले परिवार में एक व्यक्ति की तीन लोगों के लिऐ जिसमें महीला, बच्चे और किशोर की आमदनी ृामिल होती है, उस पर ध्यान दिया जाऐ। 2) एक औसतन भारतीय व्यस्क के लिऐ 2,700 कैलोरी का निर्धारण। 3) प्रति व-र् प्रति व्यक्ति 18 गज कपडा, अर्थात् एक परिवार में 4 व्यक्तियों के लिऐ कुल 72 गज। 4) कम आय समूह के लिऐ औद्योगिक आवास योजना के अंतर्गत उसे न्यूनतम किराया देना। 5) कुल न्यूनतम वेतन के 20 प्रतिशत भाग के रूप में ईंधन, बिजली और अन्य विविध वस्तुओं का खर्चा देना।

वर्ष 1991 में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी एक आदेश में न्यूनतम वेतन की गणना करने के लिऐ 6 मानदंड निर्धारित किऐ गऐ थे : बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा आवश्यकता, त्यौहारो, धार्मिक उत्सवों सहित न्यूनतम मनोरंजन, बुजुर्गों की देखभाल और बच्चों के विवाह के लिऐ प्रावधान के लिऐ कम से कम वेतन का 25 प्रतिशत भाग दिया जाना चाहिऐ। इसके अतिरिक्त इस वेतन में मुद्रास्फीति से निपटने के लिऐ महंगाई भत्ता भी ृामिल किया गया था।

अन्य ृाब्दों में, ये मानदंड वास्तव में एक सम्मानजनक और अच्छा जीवन जीने के लिऐ एक परिवार की कम से कम मासिक आवश्यकता की पूर्ति के लिऐ न्यूनतम वेतन निर्धारित करते हैं। ये मानदंड अर्थशास्त्रियों, वैज्ञानिकों और योजनाकर्ताओं को दिऐ जाते हैं लेकिन जब यही लोग किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते हैं, तो वे इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। यह उनका दोहरा मानदंड है, वे अपने वेतन को निर्धारित कर लेते हैं लेकिन अधिकतम लोगों को उनके भाग्य के सहारे छोड देते हैं।

सर्वप्रथम इस असमानता को दूर करना अनिवार्य है, और किसानों को यही दो-ा देना कि वह फसल उत्पादकता नहीं बढ़ाते, अन्य तकनीक प्रयोग नहीं करते, अच्छा नहीं है। अब में एक ऐसा किसान निश्चित आय आयोग का गठन करने की बात कहता हूँ, ताकि किसानों को एक निश्चित मासिक आमदनी मिलती रहे।

यदि फसल उत्पादकता का कारण होता तो किसान पंजाब में आत्महत्याऐं नहीं करते। वहां 98 प्रतिशत भूमि पर खेती होती है और अंतर्रा-ट्रीय स्तर पर गेहूँ और धान का उत्पादन होता है, वहां भी किसान आत्महत्याऐं कर रहे हैं। व-र् 2016 आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि पंजाब में गेहूँ को प्रति हेक्टेयर उत्पादन 4,500 कि.ग्रा. है जो अमेरिका के मुकाबले का है। वहां धान 6,000 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर का उत्पादन होता है, जो चीन के समान है।

यदि अब भी आप सहमत नहीं हैं, तो इस अध्ययन को देखें जो पंजाब विश्वविद्यालय के प्रतिि-ठत प्रौफेसर एच.एस. ोरगिल ने प्रस्तुत किया है। पंजाब में प्रति हेक्टेयर ट्रैक्टरों की संख्या 1,000 है, अमेरिका में केवल 26, इंग्लैंड में 76, जर्मनी में 65 और पंजाब में प्रति हेक्टेयर 449 कि.ग्रा. उर्वरक का उपयोग, जबकि अमेरिका में 103, इंग्लैंड में 208 और जापान में 278 कि.ग्रा. है तथा पंजाब में खेती का क्षेत्र 98 प्रतिशत, अमेरिका में 11.4, इंग्लैंड में 2.0 और जापान में 35.0 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त अनाज का उत्पादन पंजाब में प्रति हेक्टेयर, प्रति व-र् 7,633 कि.ग्रा., अमेरिका 7,238, फ्रांस में 7,460, इंग्लैंड में 7,008 और जापान में केवल 5,920 कि.ग्रा. है। अब आप ही बताऐं की देश के अर्थशास्त्री किसानों से क्या आशा करते हैं और पंजाब के किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं ?

इस प्रकार वास्तविक समस्या कहीं और ही है। यह तो मात्र एक आमदनी सुरक्षा का प्रश्न है।

व-र्ा 1991 में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित मानदंड और भारतीय श्रम सम्मेलन 1957 के निर्धारित सम्मानजनक जीवन यापन के मानदंडों के अनुसार हमारे कुछ अर्थशास्त्रीयों और अनुसंधानकर्ता तथा कृ-ि कार्यकृताओं ने किसानों के लिऐ एक निश्चित आय सुरक्षा के बारे में एक कार्यशाला का आयोजन किया, कि किसानों को किस प्रकार से एक निश्चित आय उपलब्ध कराई जा सके, क्योंकि वह फसल उगाने के साथ-साथ हमारी प्राकृतिक वस्तुओं का भी संरक्षण कर रहे हैं।

किसान और कई नागरिक सामाजिक संगठन स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट को लागू करने की मांग कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत उत्पादन की लागत पर 50 प्रतिशत का लाभ देने की सिफारिश की गई थी। देश में केवल 6 प्रतिशत किसानों को ही न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलता है, लेकिन बाकि 94 प्रतिशत किसान इस सुविधा से वंचित हैं। मेरा सुझाव है कि सभी किसानों को प्रत्येक महीने एक निश्चित आय उपलब्ध कराई जाऐ, ताकि वे कई सालों से जी रहे दयनीय जीवन से छुटकारा पा सकें। न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना भी लागू रहनी चाहिऐ, लेकिन किसानों के लिऐ कुछ विशे-ा उपाय करने की अति-आवश्यकता है।

जब एक छोटे से छोटा सरकारी कर्मचारी रू. 18,000 मासिक का निश्चित वेतन ले रहा है और गैर कृ-ि मजदूर भी रोजाना रू. 351 लेता है, तो देश के सभी राज्य भारत व-र्ा के लोगों को सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराने पर भी एक न्यूनतम निश्चित आय के हकदार क्यों नहीं हैं और वे आत्महत्या करने पर क्यों मजबूर हैं। इसका कारण पाया गया है कि किसानों को सस्ती दर पर अपनी फसलें बेचने के कारण बढी आर्थिक हानि उठानी पडती है। आंकडों से पता चलता है कि देश भर के किसानों को प्रत्येक व-र्ा लगभग रू. 12 लाख करोड का नुकसान उठाना पडता है। इसका प्रमुख कारण किसान अपनी पैदावार सस्ते दामों पर बेचने के लिऐ मजबूर होते हैं। संक्षिप्त में यह कहना है कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों को बनाऐ रखने में और भौगोलिक एवम् जलवायु, वातावरण के संरक्षण में किसानों का अमूल्य योगदान है, फिर भी वे केवल रू. 14,000 प्रति हेक्टेयर पाने के हकदार हैं।

यह एक रूढ़िवादी अनुमान है और देशभर के अर्थशास्त्रीयों, नीतिनिर्माताओं एवम् कृ-ि वैज्ञानिकों को ऐसा प्लैटफॉर्म तैयार करना होगा जिसमें किसानों की आय दोगुनी करने पर गंभीर रूप से विचार किया जा सके। अब समय आ चुका है कि हमें फसल उत्पादकता, ठेके पर खेती और विपणन ढांचे के निजीकरण जैसे उपायों के अतिरिक्त ऐसे कडे कदम और कारगर उपाय करने चाहिऐं, जिससे किसानों की आय दोगुनी करने का सपना सच हो सके। दुर्भाग्यवश अर्थशास्त्री यह मानने की भूल कर रहे हैं कि, कृ-ि क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का निवेश बढाने से किसानों की आय बढेगी।